न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः— 82 / 2017 निर्णय दिनांक :— 05.03.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

तहसीलदार देवली जिला टोंक (राज.)

— प्रार्थी—

बनाम

1. रतन पुत्र गोरर्धन जाति खटीक निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. नोरत पुत्र गोरर्धन जाति खटीक निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. कैलाश पुत्र गोरर्धन जाति खटीक निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. मथरी पुत्री गोरर्धन जाति खटीक निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. तीजा पुत्री गोरर्धन जाति खटीक निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
6. प्रेमी पुत्री गोरर्धन जाति खटीक निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
7. श्रीमती लादी देवी पत्नि जगदीश जाति कोली निवासी बनेड़िया खुर्द तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

7 / 1. कैलाश पुत्र जगदीश जाति कोली निवासी बनेड़िया खुर्द तहसील देवली जिला टोंक (राज)

7 / 2 रामराज पुत्र बाबूलाल (मृतक बाबूलाल पुत्र जगदीश) जाति कोली निवासी बनेड़िया खुर्द तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

7 / 3 संदीप पुत्र बाबूलाल (मृतक बाबूलाल पुत्र जगदीश) जाति कोली निवासी बनेड़िया खुर्द तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

7 / 4 सोनिया पुत्री बाबूलाल (मृतक बाबूलाल पुत्र जगदीश) जाति कोली निवासी बनेड़िया खुर्द तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

7 / 5 मानी देवी पत्नि बाबूलाल (मृतक बाबूलाल पुत्र जगदीश) जाति कोली निवासी बनेड़िया खुर्द तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

— अप्रार्थीगण —

उपस्थिति :—
तहसीलदार देवली

श्री प्रकाश चंन्द जैन एवं श्री विरेन्द्र जैन
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6 ता 11
श्री सुनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 7 / 1 ता 7 / 5

दावा अन्तर्गत धारा 42 ख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के उल्लंघन के कारण धारा 175 में वाद निम्न प्रकार हैः—

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नासिरदा की जमाबंदी सम्वत 2061 से 2064 के खाता सं 897 में ख0नं0 844/5152 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 845 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 846 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 849 रकबा 0.52 है0, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड थी। ना0सं0 1243 दिनांक 11.7.05 विक्रय से ख0नं0 849 में से 0.10 है0 रकबा रामचंद पुत्र हरदेव जाति बैरवा सा0 बनेडियाखुर्द पुर्नवास कॉलोनी थांवला के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। ग्राम नासिरदा में से नवीन राजस्व ग्राम–गोपालपुरा बनने से मिलान क्षैत्रफल अनुसार ग्राम नासिरदा के ख0नं0 844/5152 के नवीन ख0नं0 746, ख0नं0 845 के नवीन ख0नं0 745, ख0नं0 846 के नवीन ख0नं0 5244/747, ख0नं0 849 के नवीन ख0नं0 751 बने है। इस प्रंकार वर्तमान जमाबंदी ग्राम नासिरदा सम्वत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 887 मे प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के नाम ख0नं0 745 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 746 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 751 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 5244/747 रकबा 0.23 दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा एक विक्रय पत्र दिनांक 28.6.2005 को प्रतिवादी संख्या 7 के हक मे जिल्द 101 पृष्ठ संख्या 51 से उपपंजीयक कार्यालय देवली में पंजीयन करवाया गया था, इस विक्रय पत्र में ख0नं0 844/5152 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 846 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 849 रकबा 0.52 है0, में से 0.42 है0 का विक्रय हुआ था। उक्त खसरा नंबर के हाल खसरा नंबर क्रमशः 746, 5244/747, 751 है। उक्त विक्रय पत्र जिसकी प्रमाणित प्रति व नामांतरण संख्या 2378 जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है मे क्रेता प्रतिवादी संख्या 7 की जाति कोली लिखी गई है, परंतु जांच रिपोर्ट पटवारी व भू0अ0नि0 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 7 की वास्तविक जाति गुर्जर है। मात्र अवैध हस्तांतरण से होने वाली न्यायिक कार्यवाही से बचने के लिए विक्रेता एंव क्रेता द्वारा पंजीयन दस्तावेज मे जाति कोली अंकित करवायी गई है जो कपटपूर्ण कार्यवाही में आती है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 के हक में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा 42 ख के विपरीत कृषि भूमि का विक्रय पत्र तस्दीक करवाया गया है क्योंकि उक्त धारा के अंतर्गत अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा उसकी खातेदारी भूमि का विक्रय अनुसूचित जाति से अतिरिक्त जाति वर्ग के सदस्य के नाम तस्दीक नहीं करवाया जा सकता है। वाद पत्र में संलग्न दस्तावेज जमाबंदी नकल विक्रय पत्र प्रमाणित प्रतिलिपि से यह स्पष्ट रूप से साबित है कि विक्रेता की जाति अनुसूचित जाति वर्ग की है। वह क्रेता की जाति अनुसूचित जाति वर्ग से बाहर अन्य पिछडे वर्ग की है। अतः उक्त विक्रय पत्र के विरूद्व प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के अंतर्गत कार्यवाही में आती है। अभियाचना यह है कि प्रार्थना पत्र से संबंधित भूमि ख0नं0 746 रकबा 0.26 है ख0नं0 5244/747 रकबा 0.23 है0 ख0नं0 751 रकबा 0.42 है0 कुल किता तीन रकबा 0.91 है0 को ग्राम नासिरदा को धारा 175 के अंतर्गत राजस्थान सरकार सिवायचक के खाते में अंकित करने व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के खाते में से विलोपित करने हेतु वाद प्रस्तुत है। प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के अधिकार क्षैत्र में प्रस्तुत किया गया है

एवं अंदर मियाद प्रस्तुत किया है। अन्य दस्तावेज व साक्ष्य बरवक्त बहस प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की ओर से प्रकाश चन्द जैन अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार से प्रस्तुत है:–वाद पत्र का चरण नं 1 जिस तरह से अंकित किया गया है स्वीकार है जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र का चरण नं 2 जिस तरह से अंकित किया गया है स्वीकार है। जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र का चरण नं 3 में प्रतिवादीगण 1 ता 6 ने प्रतिवादी सं 7 के हक मे पंजीयन कराया था वह रिकार्ड मे है एंव तत्कालीन सब रजिस्ट्रार देवली ने उस समय प्रतिवादी सं 7 से जाति के बारे मे पूछा तो उसने अपनी जाति कोली बतायी थी जबकि प्रतिवादी सं 7 के बारे में सब रजिस्ट्रार देवली ने पूरी पूछताछ की थी। वाद पत्र का चरण नं 4 जिस प्रकार से अंकित किया गया है, पूर्णतया गलत है, अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि प्रतिवादीगण 1 ता 6 ने किसी भी प्रकार से कपटपूर्ण कार्यवाही नहीं की है। प्रतिवादीगण 1 ता 6 एंव प्रतिवादी सं 7 सब रजिस्ट्रार देवली के यहां उपस्थित थे एंव प्रतिवादी सं 7 ने यह कहकर रजिस्ट्री करायी कि हमारी जाति कोली है एंव तत्कालीन तहसीलदारजी ने उक्त विक्रय पत्र को रजिस्टर्ड कर दिया क्योंकि प्रतिवादीगण 1 ता 6 कानून के बारे मे पूर्णतया अनभिज्ञ है, पढे लिखे व्यक्ति नही है इसलिए जानबूझकर किसी प्रकार से गलती नही की है। वाद पत्र का चरण नं 5 जिस तरह से अंकित किया गया है वह तत्कालीन सब रजिस्ट्रार देवली को देखनी थी ना कि प्रतिवादीगण 1 ता 6 कों। वाद पत्र का चरण नं 6 जिस तरह से अंकित किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। वास्तविकता यह प्रतिवादी 1 ता 6 पढे लिखे व्यक्ति नहीं है। वाद पत्र का चरण नं 7 मे वादी द्वारा जो अधियाचना चाही है वह अधियाचना कानून के अनुसार प्रतिवादीगण 1 ता 6 को स्वीकार करने मे कोई आपत्ति नहीं है, अगर प्रतिवादीगण 1 ता 6 का उक्त खसरा नंबरान मे से नाम हटाया जाता है तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। वाद पत्र का चरण नं 8 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अप्रार्थीगण संख्या 7/1 ता 7/5 को बाद तामिल जरिये अधिवक्ता अप्रार्थीगण सुनिल कुमार शर्मा ने जवाब प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार है – यह कि वाद पत्र का चरण नम्बर 1 जिस तरह से अंकित किया गया है स्वीकार है। जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कि वाद पत्र का चरण नम्बर 2 जिस तरह से अंकित किया गया है स्वीकार है। जवाब की कोई आवश्यकता नही है। यह कि वाद पत्र का चरण नम्बर 3 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण की माता/दादी/सास लादी देवी पत्नि जगदीश के नाम वाद वर्णित खसरा नम्बर का रजि0 विक्रय पत्र प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने तहसील कार्यालय देवली मे उपस्थित होकर करवाया था। प्रतिवादीगण की माता/दादी/सास लादी देवी अनपढ़ थी। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के कहने पर ही उक्त वर्णित भूमि कय की थी तथा उनके कहने पर ही विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया था। वाद पत्र का चरण नम्बर 4 गलत

है, स्वीकार नही है। प्रतिवादीगण की माता/दादी/सास लादी देवी पत्नि जगदीश अनपढ़ थी, उसे इस बात की कोई जानकारी नही थी कि अनुसूचित जाति की भूमि अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति के पंजीयन नही होती। प्रतिवादीगण की माता/दादी/सास लादी देवी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के कहे अनुसार ही तहसील कार्यालय देवली मे आकर उक्त भूमि के विक्रय का पंजीयन करवाया था। यह कि वाद पत्र का चरण नम्बर 5 जिस तरह से अंकित किया गया है गलत है, स्वीकार नहीं है। तत्कालीन सब रजिस्ट्रार देवली को पंजीयन के समय जांच करनी चाहिये थी। यह कि वाद पत्र का चरण नम्बर 6 गलत है, स्वीकार नही है। प्रतिवादीगण की माता/दादी/सास लादी देवी एक वृद्ध महिला थी जो निरक्षर थी, उसे कानून के मामले मे कोई जानकारी नही थी। यह कि वाद पत्र मे वादी द्वारा चाही गयी अधियाचना से प्रतिवादीगण सहमत है तथा उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक अंकित करने मे तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम विलोपित करने में हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति एवं एतराज नही है। यह कि वाद पत्र का चरण नम्बर 8 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में कोई आपति प्रकट नहीं करने से पत्रावली बहस में नियत की गई।

प्रार्थी तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2005 में अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी ख. नं. 746 रकबा 0.26 है0, 751 रकबा 0.42 है0, 5244/747 रकबा 0.23 है0 का बेचान अप्रार्थीगण संख्या 7 लादी देवी पत्नी जगदीश को किया है, जिसकी जाति के रूप में कोली जाति का उल्लेख है, जिसका नामान्तकरण संख्या 2378 दिनांक 25.10.13 को ग्राम नासिरदा पटवार हल्का ने भरकर पेश किया गया है, जिसकी पटवार हल्का द्वारा पुनः जांच में क्रेता की जाति कोली न होकर गुर्जर होने व नियम विरूद्ध रजिस्ट्री का उल्लेख करते हुए नामान्तकरण खाजिर योग्य का नोट डाला है ।

जमाबन्दी सम्वत 2061–64 के खाता संख्या 897 में नामान्तकरण संख्या 1243 निर्णय दिनांक 11.07.2005 विक्रय से ख. नं. 5381/849 रकबा 0.10 है0 रामचन्द पुत्र हरदेव जाति बैरवा सा0 बनेड़िया खुर्द हाल पुनर्वास कॉलोनी थांवला के नाम स्वीकार होने का नोट अंकित है। जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के मिलान क्षैत्रफल के अनुसार नवीन राजस्व ग्राम–गोपालपुरा बनने से मिलान क्षैत्रफल अनुसार ग्राम नासिरदा के ख0नं0 844/5152 के नवीन ख0नं0 746, ख0नं0 845 के नवीन ख0नं0 745, ख0नं0 846 के नवीन ख0नं0 5244/747, ख0नं0 849 के नवीन ख0नं0 751 बने है, राजस्व रिकॉर्ड अभिलेखित है।

जमाबन्दी सम्वत 2069–72 में कुल किता 4 कुल रकबा 1.27 है0 प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

तहसीलदार देवली द्वारा पत्रांक 832 दिनांक 31.03.17 से पटवार हल्का को नासिरदा के ख. नं. 746, 751 व 5244/747 के सम्बन्ध में चाही गई रिपोर्ट पर पटवारी हल्का द्वारा अंकित किया कि उक्त ख. नं. पर लादी देवी पत्नी जगदीश जाति गुर्जर सा0 बनेड़िया खुर्द का कब्जा है तथा उक्त ख. नं. को क्रय करने वाली लादी देवी पत्नी जगदीश सा. बनेड़िया खुर्द की जाति गुर्जर है।

उक्त दस्तावेजात व रिपोर्ट से बखुबी साबित है कि प्रतिवादी संख्या 7 लादी देवी पत्नी जगदीश की जाति गुर्जर है और अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में भी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई आपति नहीं की है, जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। जबकि पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2005 में प्रतिवादी संख्या 7 ने अपनी जाति कोली अंकित करवायी है जो अनुसूचित जाति में आती है। अतः पंजीबद्ध विक्रय पत्र में मूल खातेदार को अनुसूचित जाति का सदस्य होकर गैर अनुसूचित जाति के सदस्य को अपनी खातेदारी भूमि का विक्रय किये जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 ख का उल्लंघन किया गया है।

अतः तहसीलदार देवली ने दस्तावेज के माध्यम से प्रार्थना पत्र को साबित किया जिसके फलस्वरूप प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

तहसीलदार देवली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। जमाबन्दी सम्वत 2069–72 ग्राम नासिंरदा में दर्ज ख0नं0 746 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 5244/747 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 751 रकबा 0.42 है0 कुल किता तीन रकबा 0.91 है0 को राजस्थान सरकार सिवायचक के खाते में दर्ज करने व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का नाम सम्बन्धित ख. नं. 746, 5244/747 व 751 में से विलोपित किया जाता है। तहसीलदार देवली पालना करे।

निर्णय दिनांक 05.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/3/24

उपखण्ड अधिकारी
देवली